भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 785

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जल संकट

785. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों और नागौर के कतिपय भागों में पेयजल की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए विदेशी सहायता के माध्यम से बीसलपुर बांध को बनास नदी (बीसलपुर बहानी) से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के दोहरे उद्देश्य हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए बाहरी सहायता के माध्यम से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी की इन नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है। एनडब्ल्यूडीए ने 10 राज्य सरकारों से प्राप्त 49 अंतर-राज्यीय लिंक परियोजनाओं के प्रस्तावों का भी अध्ययन किया है। एनपीपी और एनडब्ल्यूडीए को प्राप्त अंतर-राज्यीय लिंक प्रस्तावों के तहत बनास नदी को बीसलपुर बांध से जोड़ने का कोई प्रस्ताव परिकल्पित नहीं है। तथापि, बीसलपुर बांध के पूरक निर्माण की परिकल्पना पूर्वी राजस्थान नहर

परियोजना (ईआरसीपी) के तहत की गई है, जिसे संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ): चंबल नदी प्रणाली के जल के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से और राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, कुनो, पार्वती और कालीसिंध उप-बेसिन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित घटकों के साथ-साथ ईआरसीपी के घटकों को सम्मिलित करते हुए, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संशोधित पीकेसी एनपीपी की प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं में से एक है।

समझौता ज्ञापन पर दिनांक 28.01.2024 को हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 05.12.2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओए पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ चंबल बेसिन के पानी का इष्टतम उपयोग करने और दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक हित में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर की योजना और तैयारी के लिए समझौता किया।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के हस्ताक्षरित एमओए के अनुसार, बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता को 0.5 मीटर बढ़ाकर उसमें सुधार करना राजस्थान को लाभ पहुंचाने वाले घटकों के अंतर्गत लिया गया है।

*****